

अंतिम डिक्री व मुकदमे इवतदाई

(ऑर्डर 20, कल 6-7, जाबा बीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

वैवेचन सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जारिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अंतर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 80/2022

निर्णय दिनांक :- 23.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इतिफिसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी बाबी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वावपत्र बाबीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 शर्ती भाति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एक्स, पटवार हल्का 3 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 107, 106, 108, 179, 19, 112, 180, 192, 233, 232 में रहन ओ.बी.सी. शाखा केसरीसिंहपुर के स्थान पर रहन पी.एन.बी. शाखा केसरीसिंहपुर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 23.05.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

मुकदम	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीवावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इधुटी	00	00	मैहनताना वकील पर	00	--
योग	01	00	योग	00	00

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

दिनांक: 23.05.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/286

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधीहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर